आरबीई संख्या 157/2022

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 143

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAY
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सं.ई(डब्ल्यू)2022/एसबीएफ/5 | नई दिल्ली, दिनांक 21.12.2022

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I, 1985 संस्करण (तीसरा पुनर्मुद्रण संस्करण-2008) का अध्याय 8 - रेल कर्मचारिवृन्द प्रसुविधा निधि से संबंधित प्रावधानों में संशोधन।

*****

रेल सेवकों और उनके परिवारों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारिवृन्द प्रसुविधा निधि के अंतर्गत "कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना" एक नया शीर्ष/गतिविधि के रूप में खोला जाए और कुछ शीर्षों के अंतर्गत आबंटन का पुनर्वितरण किया जाए। तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, संस्करण 1985 के नियम सं. 805 के अंतर्गत वितरण दर्शाने वाली तालिका को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 143 के अनुसार संशोधित किया गया है। अन्य निबंधन और शर्तें समान रहेंगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

3. कृपया पावती दें।

(छोटे लाल)
संयुक्त निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड
फोन नं. : 23047155
ई-मेल आईडी: saurabh.lal65@gmail.com

सं.ई(डब्ल्यू)2022/एसबीएफ/5 | नई दिल्ली, दिनांक 21.12.2022

प्रतिलिपि प्रेषित :-
भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

(i) निदेशक (सा.प्र.), रेलवे बोर्ड।

(ii) कंप्यूटर सेल/ सीएंडआईएस, रेलवे बोर्ड को सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(iii) मानक सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद एवं सचिव कर्मचारी पक्ष के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, समूह "क" अधिकारी संघ, कमरा सं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, समूह "ख" अधिकारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी IV कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा सं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्प्लाइज़ फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा सं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन

कृते प्रधान कार्यकारी निदेशक (आईआर)
रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-I 1985 संस्करण

(तीसरा पुनर्मुद्रण संस्करण-2008)

अध्याय-8

रेल कर्मचारिवृन्द प्रसुविधा निधि

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 143

क्र.सं.	शीर्ष/गतिविधि	आबंटन (रुपये में)	विषय क्षेत्र
1	2	3	4
1.	शिक्षा- 2400/- रु. से ऊपर के ग्रेड पे में (अर्थात् पे मैट्रिक्स में स्तर-4 से ऊपर) अराजपत्रित रेल सेवकों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1500/- रु. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति	116	उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 2400/- रु. से ऊपर के ग्रेड पे में (अर्थात् पे मैट्रिक्स में स्तर-4 से ऊपर) रेल सेवकों के बच्चों के लिए। (प्राधिकार: बोर्ड का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2014/एफयू-1/1, दिनांक 18.01.2017, अ.शु.प. सं.130)
2.	2400/- रु. तक के ग्रेड पे (अर्थात् पे मैट्रिक्स के स्तर-4 तक) के रेल सेवकों की बालिकाओं के लिए उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1500/- रु. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति	110	तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त कर रहे 2400/- रु. तक ग्रेड पे (अर्थात् पे मैट्रिक्स में स्तर-4 तक) के रेल सेवकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति
3.	2400/- रु. तक ग्रेड पे (अर्थात् पे मैट्रिक्स में स्तर-4 तक) के रेल सेवकों के बालकों के लिए उच्च तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1500/- रु. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति	100	तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त कर रहे 2400/- रु. तक ग्रेड पे (अर्थात् पे मैट्रिक्स में स्तर-4 तक) के रेल सेवकों के बालकों के लिए छात्रवृत्ति
4.	संगोष्ठी, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और लैंगिक संवेदीकरण शिविर आदि सहित महिला सशक्तिकरण गतिविधियाँ।	28	शिशु-सदनों को सहायता प्रदान करना, महिला रेल सेवकों के लिए संरक्षा व्यवस्थाएं एवं रेलवे द्वारा की गई अन्य पहलें।
5.	खेल-कूद के अलावा अन्य मनोरंजन संबंधी गतिविधियां	25	मनोरंजन सुविधाएं, व्यायामशाला (जिम) उपकरणों की खरीद, कर्मचारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिए अवकाश शिविर, अध्ययन भ्रमण।

6.	संस्थानों और क्लबों आदि में मनोरंजन संबंधी सुविधाएं।	36	
7.	सांस्कृतिक गतिविधियों का संवर्धन	16	आवासीय कॉलोनियों, मंडलों एव विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं संबंधित उपकरणों आदि की खरीद/रखरखाव।
8.	4600/- रु. ग्रेड पे तक के (अर्थात् पे मैट्रिक्स के स्तर-7 तक) रेल कर्मचारियों के लिए विपत्ति और बीमारी आदि में सहायता।	110	रेल कर्मचारियों को जरूरत के समय अधिक सहायता राशि प्रदान करना जैसे दुर्घटनाओं में रेल कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय सहायता देना और उन रेल कर्मचारियों को सहायता राशि प्रदान करना, जो लंबे समय से बीमार हैं तथा लंबी अवधि से अस्पताल में भर्ती हैं और जो बिना वेतन के छुट्टी पर हैं अर्थात कर्मचारी के खाते में (एलएपी या एलएचएपी) कोई छुट्टी नहीं है। रेल कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि प्रभार के लिए प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपए।
9.	खेल-कूद गतिविधियां	30	अद्यतन खेल-कूद उपकरण प्रदान करने और विद्यालयों, संस्थानों तथा क्लबों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके खेल-कूद को बढ़ावा देना
10.	स्काउट एवं गाइड गतिविधियां	22	सभी रेलों में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करना।
11	होम्योपैथी सहित दवाइयों की स्वदेशी प्रणाली	36	
12.	बाढ़, भुखमरी, भूस्खलन, आग अथवा अन्य किसी आपदा के कारण उत्पन्न संकट के समय में तत्काल राहत	24	
13.	विकलांग रेल सेवकों (दिव्यांगजन) के लिए व्यावसायिक कौशल विकसित करना अर्थात 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत आने वाले रेल सेवक और उनके बच्चों, जिनमें व्हील चेयर, अन्य सहायक सामग्रियों, विशेष सॉफ्टवेयर आदि की खरीद और कार्यशालाओं, सेमिनारों, शिविरों आदि	50	विशेष उपकरणों आदि की जरूरत के समय दिव्यांग रेल सेवकों/ आश्रितों की सहायता।

	का आयोजन शामिल है।		
14.	विविध	80	हॉलिडे होम, रेस्ट हाउस, मनोरंजन/सूचना सुविधा जैसे टीवी में सुधार के लिए सहायता; बिजली उपकरणों/ऐसी सुविधाओं पर आवर्ती व्ययों के लिए रखरखाव निधि,
15.	कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना	17	ध्यान, योग, जीवन-शैली आदि में परिवर्तन करके तनाव के स्तर को कम करने के लिए उचित परामर्श और वैकल्पिक तरीके।
	कुल	**800**	

नोट:-

(1) नियम 805 के क्रमांक (1), (2) और (3) में शीर्ष/ गतिविधि के संबंध में प्रदान किए गए आबंटन का उपयोग रेल सेवकों के बच्चों के लिए बोर्ड के दिनांक 01.06.2015 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2014/एफयू-1/1 - आरबीई संख्या 54/2015 के लिए अनुबंध- I में यथा अनुबद्ध शैक्षणिक और खेलकूद में उत्कृष्ट योगदान हेतु नकद पुरस्कार की योजना के वित्तपोषण के लिए भी किया जाएगा।
(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.10.2015 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2010/एफयू-1/4- अ.शु.प.सं. 127).

(2) रेलवे की एसबीएफ समितियों को रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.11.1985 के पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)85/एफयू-1/4 और समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के तहत दी गई शर्तों/प्राथमिकताओं के संबंध में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पहले से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में डिग्री पाठ्यक्रमों को भी शामिल करने का अधिकार दिया गया है तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/राज्य सरकारों द्वारा पाठ्यक्रम की मान्यता के अध्यधीन है।
(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 05.11.2008 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2008/एफयू-1/5).

(3) सरकार के पास उपलब्ध निधि में जमा शेष पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज जमा किया जाएगा और रेलवे के राजस्व से वार्षिक अंशदान की कटौती के रूप में लिया जायेगा।

*****

by mail Issue